2007 का विधेयक संख्यांक .

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007

खंडों का क्रम

खंड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. अधिनियम का भूमि अर्जन के सभी मामलों या व्यक्तियों के अन्य अस्वैच्छिक विस्थापन को लागू होना ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

परियोजनाओं का सामाजिक आधात निर्धारण

4. कतिपय मामलों में सामाजिक आघात निर्धारण अध्ययन (एस आई ए) ।
5. एस आई ए रिपोर्ट की परीक्षा करने के लिए स्वतंत्र बहु-विध विशेषज्ञ समूह ।
6. पर्यावरणीय आघात निर्धारण अध्ययन की अपेक्षा करने वाले मामलों में समवर्ती एस आई ए अध्ययन ।
7. एस आई ए अनापत्ति ।
8. एस आई ए से छूट ।

अध्याय 3

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारी

9. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ।
10. प्रशासक की शक्तियां और कृत्य ।
11. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त ।
12. परियोजना स्तर पर पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति ।
13. जिला स्तर पर पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति ।
14. लोकपाल ।
15. अंतरराज्यिक परियोजनाएं ।
16. राष्ट्रीय निगरानी समिति ।
17. सूचना का प्रकटन ।
18. अन्वेक्षा समिति ।
19. राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग ।

अध्याय 4

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीमें या योजनाएं

20. प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा ।
21. सर्वेक्षण और प्रभावित कुटुंबों की जनगणना ।
22. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपलब्ध भूमि का निर्धारण ।
23. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रारूप स्कीम और योजना ।

खंड

24. स्कीमों और योजनाओं का अंतिम प्रकाशन ।

अध्याय 5

प्रभावित कुटुंबों का पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन

25. पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों की घोषणा ।
26. प्रभावित कुटुंबों का समूहों में व्यवस्थापन ।
27. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि का क्रय या विनिमय ।
28. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए निधियां ।
29. विस्थापन से पूर्व प्रतिकर और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन ।
30. पुनर्व्यवस्थापना क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं और सुख- सुविधाएं ।
31. पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं ।
32. अत्यावश्यकता की दशा में पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन के लिए विशेष उपबंध ।
33. उपांत विकास ।

अध्याय 6

प्रभावित कुटुंबों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदे

34. हकदार प्रभावित कुटुंबों को उपलब्ध पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदे ।
35. आवास फायदे ।
36. कृषि भूमि का आबंटन ।
37. आबंटित भूमि या अन्य संपत्ति का रजिस्ट्रीकरण आदि ।
38. पशुशेड के लिए वित्तीय सहायता ।
39. परिवहन लागत ।
40. कार्यशाला शेड या दुकान के लिए वित्तीय सहायता ।
41. नियोजन और कौशल विकास ।
42. पुनर्वास अनुदान और शेयरों के आबंटन के लिए विकल्प ।
43. भूमि विकास परियोजनाएं ।
44. मत्स्य अधिकार ।
45. जीवन-निर्वाह भत्ता ।
46. दुर्बल प्रभावित व्यक्तियों को मासिक पेंशन ।
47. पंक्तिमय परियोजनाएं ।
48. फायदों के बदले में एकमुश्त संदाय के लिए विकल्प ।
49. अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए विशेष उपबंध ।
50. अधिभोगियों को फायदे ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

51. पुनर्वास अनुदान और अन्य धनीय फायदों का अनुक्रमणिकाकरण ।

खंड

52. मिथ्या सूचना के लिए दंड ।
53. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक की सहायता करने का कर्तव्य ।
54. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।
55. अधिकारियों का लोक सेवक होना ।
56. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
57. भूमि संबंधित सभी विधियों पर अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव ।
58. नियम बनाने की शक्ति ।
59. व्यावृत्ति ।
60. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

अनुसूची

2007 का विधेयक संख्यांक .

[दि रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट बिल, 2007 का हिन्दी अनुवाद]

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007

लोक प्रयोजन की परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन या किसी अन्य कारण से अस्वैच्छिक विस्थापन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2007 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम में, किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के

प्रतिनिर्देश है ।

अधिनियम का भूमि अर्जन के सभी मामलों या व्यक्तियों के अन्य अस्वैच्छिक विस्थापन को लागू होना ।

2. इस अधिनियम के उपबंध, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त संघ या किसी राज्य के किसी अन्य अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन या किसी अन्य कारण से व्यक्तियों के अस्वैच्छिक विस्थापन को लागू होंगे । **1894 का 1**

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" से धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रभावित कुटुम्ब" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :--

(i) ऐसा कुटुंब जिसके निवास का मुख्य स्थान या अन्य संपत्ति या जीविका का स्रोत किसी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन द्वारा प्रतिकूल रूप से या किसी अन्य कारण से अस्वैच्छिक विस्थापन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है ;

(ii) कोई भू-धृतिधारक, किरायेदार, पट्टेदार या अन्य संपत्ति का स्वामी, जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अर्जन के कारण (जिसके अंतर्गत आबादी में प्लाट या अन्य संपत्ति सम्मिलित है) या अन्यथा ऐसी भूमि या अन्य संपत्ति से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ है ;

(iii) कोई कृषि या गैर-कृषि श्रमिक, भूमिहीन व्यक्ति (जिसके पास गृहभूमि, कृषि भूमि नहीं है या कोई गृहभूमि या कृषि भूमि है), ग्रामीण कारीगर, छोटा व्यापारी या स्व-नियोजित व्यक्ति, जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पूर्व, प्रभावित क्षेत्र में पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए निवास कर रहा है या किसी व्यापार, कारबार, उपजीविका या व्यवसाय में लगा हुआ है, और जो अपनी जीविका अर्जन करने से वंचित हो गया है या अपने व्यापार, कारबार, उपजीविका या व्यवसाय के मुख्य स्रोत से प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अर्जन या किसी अन्य कारण से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित होने के कारण पूर्ण रूप से या सारवान् रूप से अन्यसंक्रामित हो गया है ;

(ग) "प्रभावित क्षेत्र" से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित ग्राम का क्षेत्र या परिक्षेत्र अभिप्रेत है ;

(घ) "कृषि श्रमिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र की घोषणा से ठीक पूर्व पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए प्रभावित क्षेत्र का निवासी है, जिसके पास प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि नहीं है किन्तु जो ऐसी घोषणा से ठीक पूर्व उसमें कृषि भूमि पर मुख्यतः शारीरिक श्रम द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन करता है ;

(ङ) "कृषि भूमि" से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा रही भूमि अभिप्रेत है,--

(i) कृषि या उद्यान कृषि ;

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, पशुओं

का प्रजनन या औषधीय जड़ी-बूटी उपजाने वाली पौधशाला ;

(iii) फसल, घास या उद्यान उत्पाद को उगाना ; और

(iv) पशुओं को चराने के लिए किसी कृषक द्वारा प्रयुक्त भूमि, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल काष्ठ को काटने के लिए उपयोग की गई भूमि नहीं है ;

(च) "समुचित सरकार" से,--

(i) संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, केन्द्रीय सरकार ;

(ii) ऐसी किसी परियोजना के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार के किसी अभिकरण या उपक्रम द्वारा या केन्द्रीय सरकार के आदेशों या निदेशों पर किसी अन्य अभिकरण द्वारा निष्पादित की जाती है, केन्द्रीय सरकार ;

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) से भिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार ; और

(iv) किसी अन्य कारण से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में, राज्य सरकार,

अभिप्रेत है ;

(छ) "गरीबी रेखा के नीचे या बी0पी0एल0 कुटुम्ब" से, समय-समय पर, योजना आयोग द्वारा यथापरिभाषित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले कुटुम्ब और ऐसे कुटुम्ब अभिप्रेत हैं, जो तत्समय प्रवृत्त बी0पी0एल0 की सूची में सम्मिलित किए गए हैं ;

(ज) "पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त" से धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त अभिप्रेत है ;

(झ) "बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ब्लाक" से भारत सरकार के बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अधीन अभिज्ञात ब्लाक अभिप्रेत है ;

(ञ) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, पिता, माता और अन्य संबंधी सम्मिलित हैं, जो उसके साथ रहते हैं और अपनी जीविका के लिए उस पर आश्रित हैं और जिसके अंतर्गत "संयुक्त कुटुंब" है जिसमें कोई व्यक्ति उसका पति या उसकी पत्नी और उसके अवयस्क बालक हैं ;

(ट) "धृति" से किसी व्यक्ति द्वारा अधिभोगी या किराएदार के रूप में या दोनों के रूप में धृत संपूर्ण भूमि अभिप्रेत है ;

(ठ) "भूमि अर्जन" या "भूमि के अर्जन" से, समय-समय पर यथासंशोधित,
1894 का 1 भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या तत्समय प्रवृत्त संघ या किसी राज्य के किसी अन्य अधिनियम के अधीन भूमि का अर्जन अभिप्रेत है ;

(ड) "सीमान्त कृषक" से एक हेक्टेयर तक असिंचित भूधृति या आधा हेक्टेयर तक सिंचित भूधृति वाला खेतिहर अभिप्रेत है ;

(ढ) "गैर-कृषि श्रमिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कृषि श्रमिक नहीं है, किन्तु जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा से ठीक पूर्व पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के

लिए प्रभावित क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास कर रहा है और जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमिधृत नहीं करता है, किन्तु जो ऐसी घोषणा से ठीक पूर्व मुख्यतः शारीरिक श्रम द्वारा या ग्रामीण कारीगर के रूप में अपनी जीविका का उपार्जन करता है और जो प्रभावित क्षेत्र में मुख्यतः शारीरिक श्रम द्वारा या ऐसे कारीगर के रूप में अपनी जीविका का उपार्जन करने से वंचित हो गया है ;

(ण) ''अधिसूचना'' से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(त) ''अधिभोगी'' से 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि का कब्जा रखने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(थ) ''लोकपाल'' से शिकायतों के निवारण के लिए धारा 14 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(द) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) ''परियोजना'' से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या पर विचार किए बिना, लोगों का अस्वैच्छिक रूप से विस्थापन अंतर्ग्रस्त करने वाली कोई परियोजना अभिप्रेत है ;

(न) ''अपेक्षा करने वाला निकाय'' से ऐसी कोई कंपनी, निगमित निकाय, संस्था या कोई अन्य संगठन अभिप्रेत है, जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जित की जानी है और इसके अन्तर्गत समुचित सरकार भी है, यदि भूमि का अर्जन ऐसी सरकार के लिए या तो उसके अपने प्रयोग के लिए है या लोकहित में, यथास्थिति, ऐसी भूमि के पट्टे, अनुज्ञप्ति के अधीन या भूमि के अन्तरण की किसी अन्य पद्धति के माध्यम से किसी कंपनी, निगमित निकाय, संस्था या किसी अन्य संगठन को पश्चात्वर्ती अन्तरण के लिए है ;

(प) ''पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र'' से समुचित सरकार द्वारा धारा 25 के अधीन उस रूप में घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(फ) ''छोटे कृषक'' से दो हेक्टेयर तक असिंचित भू-घृति वाला या एक हेक्टेयर तक सिंचित भू-घृति वाला किंतु किसी सीमांत कृषक की धृति से अधिक वाला खेतिहर अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

परियोजनाओं का सामाजिक आघात निर्धारण

कतिपय मामलों में सामाजिक आघात निर्धारण अध्ययन (एस आई ए) ।

4. (1) जब कभी किसी नई परियोजना को आरंभ करने या ऐसी किसी विद्यमान परियोजना के विस्तारण की वांछा की जाती है, जिसमें समतल क्षेत्रों में सामूहिक रूप से चार सौ या अधिक कुटुम्बों या संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची में वर्णित जनजाति या पहाड़ी क्षेत्रों, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ब्लाकों या क्षेत्रों में सामूहिक रूप से दो सौ या अधिक कुटुम्बों का अस्वैच्छिक विस्थापन अन्तर्वलित है तो समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्रों में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक सामाजिक आघात निर्धारण अध्ययन (एस आई ए) किया जाए ।

(2) समुचित सरकार, उपधारा (1) के अधीन किसी सामाजिक आघात निर्धारण पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ इस आघात पर भी विचार करेगी कि परियोजना का लोक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों और अवसंरचना पर, विशेषकर सड़कों, लोक

परिवहन, जल निकास, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल के स्रोत, पशुओं के लिए पेयजल के स्रोत, सामुदायिक तालाब, चरागाह, रोपण, लोक उपयोगिता, जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकानों, खाद्य भंडारण गोदाम, बिजली प्रदाय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, विद्यालय और शैक्षिक या प्रशिक्षण सुविधाएं, पूजा के स्थल, पारंपरिक जनजातीय संस्थाओं, कब्र और शवदाह के लिए भूमि आघात पड़ेगा ।

(3) समुचित सरकार, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि सुधार के उपाय, जिनके विनिर्दिष्ट संघटकों के लिए उक्त आघात को दूर करने की आवश्यकता होगी, उनसे कम नहीं होंगे जो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की उस क्षेत्र में प्रवृत्त किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन, उपबंधित हैं ।

एस आई ए रिपोर्ट की परीक्षा करने के लिए स्वतंत्र बहु-विध विशेषज्ञ समूह ।

5. (1) सामाजिक आघात निर्धारण रिपोर्ट किसी स्वतंत्र बहु-विध विशेषज्ञ समूह, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, इसकी परीक्षा करने के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) इस विशेषज्ञ समूह में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :--

(क) समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो गैर-सरकारी सामाजिक विज्ञानी और पुनर्वास विशेषज्ञ ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समुचित सरकार के विभाग (विभागों) का सचिव या उसका नामनिर्देशिती, पदेन ; और

(ग) समुचित सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला अपेक्षित निकाय का एक प्रतिनिधि ।

पर्यावरणीय आघात निर्धारण अध्ययन की अपेक्षा करने वाले मामलों में समवर्ती एस आई ए अध्ययन ।

6. (1) जब कभी, पर्यावरणीय आघात निर्धारण करने के लिए किसी विधि के उपबंधों, नियमों और उसके अधीन जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार यह अपेक्षित हो, वहां सामाजिक आघात निर्धारण रिपोर्ट, अध्ययन, पर्यावरणीय आघात निर्धारण अध्ययन के साथ-साथ किया जाएगा ।

(2) पर्यावरणीय आघात निर्धारण करने के लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की गई लोक सुनवाई के अंतर्गत सामाजिक आघात निर्धारण से संबंधित मुद्दे भी होंगे ।

(3) सामाजिक आघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति, पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरणीय आघात निर्धारण की बाबत प्राधिकृत आघात निर्धारण अभिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी और पर्यावर्णीय आघात निर्धारण रिपोर्ट रिपोर्ट की एक प्रति धारा 5 में अधिसूचित विशेषज्ञ समूह के साथ बांटी जाएगी ।

एस आई ए अनापत्ति ।

7. (1) सामाजिक आघात निर्धारण अनापत्ति ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, प्रदान की जाएगी ।

(2) सामाजिक आघात निर्धारण अनापत्ति में अधिकथित शर्तों का सभी संबद्ध व्यक्तियों द्वारा जिनके अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के दौरान पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासक सम्मिलित है, पालन किया जाएगा ।

(3) किसी वास्तविक आंकड़ों को छिपाने या मिथ्या या भ्रामक आंकड़ों या रिपोर्टों, के प्रस्तुत करने से सामाजिक आघात निर्धारण अनापत्ति नामंजूर हो सकेगी और यदि उन आंकड़ों के आधार पर प्रदान की गई अनापत्ति, जो पश्चात्वर्ती रूप से मिथ्या पाई जाती है, प्रतिसंहृत की जा सकेगी ।

एस आई ए से छूट ।

8. राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि के न्यूनतम क्षेत्र के आपात अर्जन वाली परियोजनाओं को ऐसे संस्थागत रक्षापायों के अधीन रहते हुए जो प्रभावित कुटुंबों के हितों के संरक्षण के लिए विहित किए जाएं, इस अध्याय के उपबंधों से छूट दी जा सकेगी ।

अध्याय 3

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारी

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ।

9. (1) जहां समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन के कारण या किसी अन्य कारण से, बड़ी संख्या में व्यक्तियों का अस्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है और जहां,––

(क) समतल क्षेत्र में सामूहिक रूप से चार सौ या अधिक कुटुम्बों ; या

(ख) संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची में वर्णित जनजाति या पहाड़ी क्षेत्रों, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ब्लाकों या क्षेत्रों में सामूहिक रूप से दो सौ या अधिक कुटुम्बों के,

विस्थापित होने की संभावना है, वहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस प्रयोजन के संबंध में जिला कलक्टर की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी परियोजना के संबंध में समुचित सरकार है तो नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जिनमें समतल क्षेत्रों में सामूहिक रूप से चार सौ से कम कुटुम्बों या संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची में वर्णित जनजाति या पहाड़ी क्षेत्रों, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ब्लाकों या क्षेत्रों में सामूहिक रूप से दो सौ से कम कुटुम्बों का विस्थापन अन्तर्वलित है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस परियोजना के संबंध में उप कलेक्टर या उपखंड अधिकारी की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(2) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक की सहायता उतने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की जाएगी, जितने राज्य सरकार विनिश्चय करे ।

प्रशासक की शक्तियां और कृत्य ।

10. (1) समुचित सरकार तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशनों तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए सभी उपाय करेगा ।

(2) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना की विरचना, उसका निष्पादन तथा उसकी निगरानी, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक में निहित होगी ।

(3) समुचित सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :––

(i) अपेक्षा करने वाले निकाय के परामर्श से व्यक्तियों के विस्थापन को कम करना तथा गैर-विस्थापनकारी या अल्पतम विस्थापनकारी विकल्पों का पता लगाना ;

(ii) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना विरचित करते समय प्रभावित व्यक्तियों से परामर्श करना ;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना विरचित करते समय अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के प्रतिकूल रूप से

प्रभावित व्यक्तियों के हितों संरक्षा की जाए ;

(iv) अध्याय 5 के अधीन यथाअपेक्षित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम या योजना तैयार करना ;

(v) प्रभावित कुटुम्बों के प्रतिनिधियों और अपेक्षा करने वाले निकाय के साथ परामर्श करके बजट तैयार करना, जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन के विभिन्न संघटकों, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन क्रियाकलाप या कार्यक्रमों का प्राक्कलित व्यय भी है ;

(vi) प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि की व्यवस्था करना ;

(vii) प्रभावित कुटुम्बों को भूमि आबंटित करना तथा उनको फायदे उपलब्ध कराए जाने को सुनिश्चित करना ;

(viii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जिन्हें समुचित सरकार, समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा, सौंपे ।

(4) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त अपने ऐसे कृत्यों को तहसीलदार की पंक्ति से अन्यून या समतुल्य किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिन्हें वह पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए समुचित समझे ।

(5) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक की सहायता करने के लिए इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारिवृन्द उसके अधीनस्थ होंगे ।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त ।

11. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए, उस सरकार के आयुक्त या सचिव की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी, जिसे पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त कहा जा सकेगा ।

(2) आयुक्त, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं की विरचना का पर्यवेक्षण करने और ऐसी स्कीमों या योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन करने के लिए दायी होगा ।

परियोजना स्तर पर पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति ।

12. (1) प्रत्येक परियोजना के लिए जिसमें समतल क्षेत्रों में चार सौ या उससे अधिक कुटुंबों का सामूहिक रूप से या जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों में, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ब्लाकों या संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में दो सौ या उससे अधिक कुटुंबों का सामूहिक रूप से अस्वैच्छिक विस्थापन अंतर्ग्रस्त है, समुचित सरकार, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक की अध्यक्षता में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति नामक एक समिति का गठन करेगी, जो प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और पुनर्विलोकन करेगी और कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक संपरीक्षा करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति में, समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :--

(i) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं का एक प्रतिनिधि ;

(ii) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि ;

(iii) क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि ;

(iv) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि ;

(v) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी ;

(vi) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती ;

(vii) संबंधित क्षेत्र के संसद्-सदस्य और विधान-मंडल के सदस्य ; और

(viii) अपेक्षा करने वाले निकाय का एक प्रतिनिधि ।

(3) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति, उसकी बैठकों के कारबार को विनियमित करने वाली प्रक्रिया और उनसे संबंधित अन्य विषय, वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

जिला स्तर पर पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति ।

13. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में, यथास्थिति, जिला कलक्टर या जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक स्थायी पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करेगी, जो जिले में प्रभावित कुटुंबों के जिनके अंतर्गत वे कुटुंब नहीं हैं जो धारा 12 में यथाविनिर्दिष्ट परियोजना स्तर पर पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति (समितियों) के अंतर्गत आते हैं, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति की प्रगति की निगरानी और पुनर्विलोकन करेगी ।

(2) जिला स्तर पर पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति की संरचना, शक्तियां, कृत्य और कृत्यकरण से संबंधित अन्य विषय ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

लोकपाल ।

14. (1) समुचित सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अतंर्गत आने वाले विषयों से उद्‌भूत शिकायतों का समयबद्ध निपटान करने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करेगी ।

(2) कोई प्रभावित व्यक्ति, यदि व्यथित है, जिसे अनुज्ञेय फायदे नहीं दिए जा रहे हैं लोकपाल को अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए एक याचिका फाइल कर सकेगा ।

(3) वह प्ररूप और रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर उपधारा (2) के अधीन याचिकाएं लोकपाल को की जा सकेंगी और उनका निपटान ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए ।

(4) लोकपाल को, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक या पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति के विनिश्चय के विरुद्ध पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार करने और उनका निपटान करने तथा अपेक्षित निकाय, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक, जिले के जिला कलक्टर या उपायुक्त को ऐसे निदेश जारी करने की, जो वह ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित समझे, शक्ति होगी ।

अंतरराज्यिक परियोजनाएं ।

15. (1) उस दशा में, जिसमें परियोजना के अंतर्गत एक से अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में के ऐसे क्षेत्र आते हैं, जहां परियोजना से प्रभावित कुटुंब निवास करते हैं या कर रहे थे या पुनर्व्यवस्थापित करने के लिए प्रस्तावित हैं, वहां केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त तथा सम्मिलित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति और लोकपाल नियुक्त करेगी ।

(2) राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन की पद्धति पर विचार-विमर्श किया जाएगा और उनके द्वारा सहमत सामान्य स्कीम या योजना, इस अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।

(3) यदि स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो

मामले को केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

16. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के पुनर्विलोकन और उसकी निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन करेगी । **राष्ट्रीय निगरानी समिति ।**

(2) समिति, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त, सुसंगत क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगी ।

(3) समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और विशेषज्ञों को संदेय भत्ते वे होंगे, जो विहित किए जाए ।

(4) केंद्रीय सरकार, समिति को दक्षतापूर्ण अपना कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी ।

17. राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय निगरानी समिति को इस अधिनियम के अधीन आने वाले मामलों पर सभी सुसंगत जानकारी, नियमित और समयबद्ध रीति में और जब भी अपेक्षा की जाए, उपलब्ध कराएंगे । **सूचना का प्रकटन ।**

18. (1) इस अधिनियम के अधीन आने वाली प्रत्येक मुख्य परियोजना के लिए समुचित सरकार के मंत्रालय या विभाग में एक पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अन्वेक्षा समिति होगी । **अन्वेक्षा समिति ।**

(2)उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की संरचना, कृत्य और प्रक्रियाएं ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

19. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन पर अधीक्षण और साधारण अन्वेक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा । **राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग ।**

(2) राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा उसकी संरचना, शक्तियां और कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 4

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीमें या योजनाएं

20. (1) जहां, समुचित सरकार की यह राय है कि किसी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन के कारण या किसी अन्य कारण से समतल क्षेत्रों में सामूहिक रूप से चार सौ या उससे अधिक कुटुंबों या संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची में वर्णित जनजाति या पहाड़ी क्षेत्रों, बंजरभूमि विकास कार्यक्रम ब्लाकों या क्षेत्रों में सामूहिक रूप से दो सौ या उससे अधिक कुटुंबों के अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित होने की संभावना है, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे ग्रामों के क्षेत्र या भूमि को प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करेगी । **प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा ।**

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा को कम से कम तीन दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिनमें से दो, उन ग्रामों या क्षेत्रों में जिनके प्रभावित होने की संभावना हैं, परिचालित किए जाने वाले स्थानीय जनभाषा में के होंगे और अधिसूचना की एक प्रति पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र के साथ ही प्रभावित क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के सूचना पटल पर या अन्य सहजदृश्य स्थान या स्थानों पर भी या किसी अन्य रीति से जो समुचित सरकार द्वारा इस संबंध में विहित की जाए लगाई

जाएगी ।

सर्वेक्षण और प्रभावित कुटुंबों की जनगणना ।

21. (1) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, उन व्यक्तियों और उनके कुटुंबों की पहचान के लिए आधारिक सर्वेक्षण और जनगणना करेगा, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक सर्वेक्षण में प्रभावित कुटुंबों के बारे में ग्रामवार निम्नलिखित जानकारी होगी, अर्थात् :--

(i) कुटुंब के ऐसे सदस्य, जो प्रभावित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, किसी व्यापार, कारबार, उपजीविका या व्यवसाय में लगे हैं ;

(ii) ऐसे कुटुंब, जिनकी अपने गृह, कृषि भूमि, नियोजन की हानि होने की संभावना है या हानि हो चुकी है या जो अपने व्यापार, कारबार, उपजीविका या व्यवसाय के मुख्य स्रोत से पूर्णतः या सारवान् रूप से अलग हो गए हैं ;

(iii) कृषि श्रमिक और गैर-कृषि श्रमिक ;

(iv) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्गों से संबंधित कुटुंब ;

(v) ऐसे असुरक्षित व्यक्ति जैसे निःशक्त, निराश्रित, अनाथ, विधवाओं, अविवाहित लड़कियां, परित्यक्त महिलाएं या पचास वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें अनुकल्पी जीविका उपलब्ध नहीं कराई गई या तुरंत उपलब्ध नहीं की जा सकी है और जो अन्यथा किसी कुटुंब के भाग नहीं हैं ;

(vi) ऐसे कुटुंब, जो भूमिहीन हैं (जिनके पास गृहभूमि, कृषि भूमि या कोई गृहभूमि या कृषि भूमि नहीं है) और गरीबी रेखा से नीचे हैं किंतु जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से तीन वर्ष में अन्यून की अवधि से प्रभावित क्षेत्र में लगातार रह रहे हैं ; और

(vii) अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कुटुंब, जिनके पास 13 दिसंबर, 2005 के पूर्व प्रभावित क्षेत्र में वन भूमि पर कब्जा है या कब्जा था ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक सर्वेक्षण धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सर्वेक्षण के पूरा होने पर या नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के अधीन किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों के ब्यौरे का प्रारूप, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव मांग सकेगा, प्रकाशित करेगा ।

(5) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, उपधारा (4) के अधीन सर्वेक्षण के ब्यौरे वाले प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्ति पर और प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, उपधारा (4) के अधीन सर्वेक्षण के ब्यौरे के साथ उस पर अपनी सिफारिशें समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(6) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर, समुचित सरकार, राजपत्र में सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरे, प्रकाशित करेगी ।

22. (1) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, ऐसी भूमि की सूची तैयार करेगा, जो प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपलब्ध हो ।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपलब्ध भूमि का निर्धारण ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई भूमि की सूची में निम्नलिखित होगा,--

(क) परियोजना के लिए उपलब्ध या अर्जित और प्रयोजन के लिए परिलक्षित भूमि ;

(ख) सरकारी बंजर भूमि और ऐसी कोई अन्य सरकारी भूमि, जो प्रभावित कुटुंबों को आबंटन के लिए उपलबध है ;

(ग) ऐसी भूमि, जो पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना के प्रयोजनों के लिए क्रय या अर्जन के लिए उपलब्ध है ; और

(घ) उपर्युक्त एक या अधिक का संयोजन ।

23. (1) धारा 21 के अधीन प्रभावित कुटुंबों का आधारिक सर्वेक्षण और जनगणना पूरी होने और धारा 22 के अधीन पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि की अपेक्षा के निर्धारण के पश्चात्, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, प्रभावित कुटुंबों के प्रतिनिधियों, जिनमें महिला और अपेक्षा करने वाले निकाय के प्रतिनिधि भी हैं, से परामर्श करके, प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए एक प्रारूप स्कीम या योजना तैयार करेगा ।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रारूप स्कीम और योजना ।

(2) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की प्रारूप स्कीम या योजना का प्रभावित क्षेत्र और पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, विस्तृत प्रचार द्वारा स्थानीय रूप से जानकारी दी जाएगी जिस पर संबंधित ग्राम सभाओं में और उन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ग्राम सभा विद्यमान नहीं हैं, लोक सुनवाई में विचार-विमर्श भी किया जाएगा :

परंतु यह कि पांचवी अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में समुचित स्तरों पर ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा :

1996 का 40

परंतु यह और कि अनुसूचित क्षेत्रों से अनुसूचित जनजातियों के दो सौ या अधिक कुटुंबों के अस्वैच्छिक विस्थापन के मामलों में, संबंधित जनजातीय सलाहकार परिषद् से भी परामर्श किया जाएगा ।

(3) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप स्कीम या योजना में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

(क) परियोजना के लिए या अन्यथा नष्ट भूमि के लिए अर्जित किए जाने वाली भूमि का विस्तार और प्रभावित ग्राम का नाम ;

(ख) कुटुंबवार ऐसे प्रभावित व्यक्तियों की ग्रामवार सूची, प्रभावी क्षेत्रों में उनके स्वामित्वाधीन या उनके कब्जाधीन धृत कृषि भूमि और अन्य जंगम संपत्ति की सीमा और प्रकृति, ऐसी भूमि और जंगम संपत्ति की सीमा और प्रकृति जो नष्ट हो गई है या जिसके नष्ट होने की संभावना है, जिसके सर्वेक्षण संख्यांक उपदर्शित हैं ;

(ग) ऐसे क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की संख्या और ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनकी जीविका कृषि क्रियाकलापों पर निर्भर है ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने अपने नियोजन या जीविका खो दी है या जिनके खोने की संभावना है या जो परियोजना के लिए या किसी अन्य कारण से अस्वैच्छिक विस्थापन के लिए भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप अपने व्यापार, कारबार, उपजीविका या आजीविका के मुख्य स्रोतों से पूर्णतः या सारतः अन्य

संक्रामित हो गए हैं या होने की संभावना है ;

(ङ) गैर-कृषि श्रमिकों की सूची, जिसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के कारीगर भी हैं ;

(च) प्रभावित भूमिहीन कुटुंबों की सूची जिसके अंतर्गत वे भी हैं जिनके पास गृहभूमि नहीं है और गरीबी रेखा के नीचे हैं ;

(छ) धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (4) में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावित व्यक्तियों की सूची ;

(ज) अधिभोगियों की सूची, यदि कोई हो ;

(झ) उन जन सुविधाओं और सरकारी भवनों की सूची, जो प्रभावित हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है ;

(ञ) लोक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों और अवसंरचना के ब्यौरे ;

(ट) प्रभावित कुटुंबों को उपलब्ध कराए जाने वाले फायदे और पैकेजों की सूची के ब्यौरे ;

(ठ) प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन करने और उनको भूमि के आबंटन के लिए पुनर्व्यवस्थापन में उपलब्ध भूमि की सीमा के ब्यौरे ;

(ड) उन सुख-सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे, जो पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपलब्ध कराई जानी हैं ;

(ढ) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में विस्थापित कुटुंबों के स्थानांतरण और उनके पुनर्व्यवस्थापन के लिए निश्चित समय ;

(ण) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिन्हें पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन प्रशासक आवश्यक समझे ।

(4) अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से ऐसी परियोजना की दशा में जिसमें भूमि अर्जन अंतर्ग्रस्त है कोई प्रारूप स्कीम या योजना तैयार करते समय, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि उस परियोजना की लागत में, जिसके लिए अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि अर्जित की जा रही है, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना की पूरी लागत सम्मिलित है और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदों का समस्त व्यय, जिसके अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों का पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन पर उपगत व्यय भी है, अपेक्षा करने वाले निकाय द्वारा वहन किया जाएगा ।

(5) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदों की संपूर्ण लागत और प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के अन्य व्यय को, परियोजना लागत में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षा करने वाले निकाय को संसूचित करेगा ।

स्कीमों और योजनाओं का अंतिम प्रकाशन ।

24. (1) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप स्कीम या योजना को समुचित सरकार को उसके अनुमोदन के लिए भेजेगा ।

(2) अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि के अर्जन वाली परियोजनाओं की दशा में, समुचित सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपेक्षा करने वाले निकाय की सहमति प्राप्त करे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अधिनियम के अधीन यथापेक्षित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका अनुमोदन करने से पहले पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए यह सुनिश्चित करेगी कि अपेक्षा करने वाले निकाय ने, प्रशासक द्वारा यथासंसूचित प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदों की पूरी

लागत और उनके पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के अन्य व्यय को वहन करने की सहमति दे दी है ।

(3) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए अनुमोदित स्कीम या योजना राजपत्र में समुचित सरकार द्वारा प्रकाशित की जाएगी ।

(4) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन पर प्रवृत्त होगी ।

अध्याय 5

प्रभावित कुटुंबों का पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन

पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों की घोषणा ।

25. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को, प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनों के लिए किसी पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र या क्षेत्रों के रूप में घोषित कर सकेगी ।

प्रभावित कुटुंबों का समूहों में व्यवस्थापन ।

26. (1) प्रभावित कुटुंबों का, जहां तक संभव हो, समूह या समूहों में पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा ।

(2) स्थानांतरित किए जाने वाले ग्राम या क्षेत्र की पूरी जनसंख्या का एक समुदाय का होने की दशा में, ऐसी जनसंख्या या कुटुंबों का, जहां तक संभव हो, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में सामूहिक रूप से पुनर्व्यवस्थापन किया जा सकेगा ।

(3) अनुसूचित जातियों के प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन की दशा में ऐसे कुटुंबों की, जहां तक संभव हों, ग्रामों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा ।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि का क्रय या विनिमय ।

27. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, समुचित सरकार की ओर से, और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, किसी पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित किसी भूमि के क्रय या विनिमय के लिए किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकेगा ।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए निधियां ।

28. (1) किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि अर्जन की किसी परियोजना की दशा में अपेक्षा करने वाले निकाय का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम या योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक को अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराएं ।

(2) किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि अर्जन की किसी परियोजना की दशा में, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना को अंतिम रूप दिए जाते ही, अपेक्षा करने वाला निकाय पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के पास पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना की एक तिहाई लागत जमा करेगा ।

(3) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, अपने नियंत्रण में रखी गई निधियों की, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, समुचित लेखा बहियां और अभिलेख रखेगा और इस निमित्त समुचित सरकार को नियतकालिक विवरणियां भेजेगा ।

विस्थापन से पूर्व प्रतिकर और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन ।

29. किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि अर्जन वाली किसी परियोजना की दशा में, प्रतिकर का अधिनिर्णय, प्रतिकर का पूर्ण संदाय और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में पर्याप्त प्रगति, प्रभावित कुटुंबों के वास्तविक विस्थापन के पश्चात् होंगे ।

पुनर्व्यवस्थापना क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं और सुख-सुविधाएं ।

30. (1) उस मामले में, जिसमें समतल क्षेत्र में चार सौ या अधिक कुटुंबों का सामूहिक रूप से या संविधान की पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची में वर्णित जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों या बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ब्लाकों या क्षेत्रों में दो सौ या अधिक कुटुंबों का सामूहिक रूप से अस्वैच्छिक विस्थापन अंतर्वलित है, पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र में समुचित

सरकार द्वारा अधिसूचित विस्तृत अवसंरचनात्मक सुविधाएं और सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(2) यदि, किसी विद्यमान व्यवस्थापन क्षेत्र में आबंटन होता है तो वहीं अवसंरचना आतिथेय समुदाय को भी विस्तारित की जाएगी ।

(3) उस मामले में, जिसमें समतल क्षेत्रों में चार सौ से कम कुटुंबों या संविधान की पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची में वर्णित जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ब्लाकों या क्षेत्रों में दो सौ से कम कुटुंबों का अस्वैच्छिक विस्थापन अंतर्वलित है, सभी प्रभावित कुटुंबों को समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पुनर्व्यवस्थापन स्थलों पर आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं और सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।

पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं ।

31. समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र किसी पंचायत या नगरपालिका का भाग है ।

अत्यावश्यकता की दशा में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए विशेष उपबंध ।

32. यदि समय-समय पर यथासंशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या तत्समय प्रवृत्त संघ या किसी राज्य के किसी अन्य अधिनियम के अधीन अत्यावश्यकता की दशा में भूमि का अर्जन किया जाता है, तो पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना के लंबित रहने तक प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को इस अधिनियम के अधीन उन्हें देय मासिक निर्वाह भत्ते के संदाय और अन्य पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदों के अतिरिक्त अंतःकालीन और अस्थायी वास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । **1894 का 1**

उपांत विकास ।

33. किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि अर्जन करने वाली किसी परियोजना की दशा में,--

(i) अपेक्षा करने वाला निकाय परियोजना स्थल की परिधि पर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को, जो समुचित सरकार द्वारा परिभाषित किया जाए, अभिदाय करेगा ;

(ii) अपेक्षा करने वाला निकाय उसके शुद्ध लाभ की प्रतिशतता को परिलक्षित करेगा या यदि अपेक्षा करने वाले निकाय द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष में कोई लाभ घोषित नहीं किया जाता है तो उस वर्ष के लिए ऐसी न्यूनतम अनुकल्पी रकम, जो समुचित सरकार द्वारा अपेक्षा करने वाले निकाय से परामर्श करने के पश्चात् अवधारित की जाए, प्रयोजन के लिए और उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर खर्च की जाएगी ; और

(iii) अपेक्षा करने वाला निकाय इस धारा के अधीन विकास संबंधी क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के दौरान पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के साथ समन्वय करेगा ।

अध्याय 6

प्रभावित कुटुंबों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदे

हकदार प्रभावित कुटुंबों को उपलब्ध पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदे ।

34. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदे ऐसे प्रभावित कुटुंबों को विस्तारित किए जाएंगे जो धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, प्रभावित कुटुंबों के रूप में हकदार हैं और उक्त तारीख के पश्चात् कुटुंब में आस्तियों के किसी प्रभाजन को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

आवास फायदे ।

35. (1) किसी प्रभावित कुटुंब को, जिसका स्वयं का गृह हो और जिसके गृह का अर्जन किया गया हो या नष्ट हो गया हो, गृह के लिए भूमि को, ऐसी भूमि के लिए मूल्य का संदाय करने की उससे अपेक्षा किए बिना, ग्राणीण क्षेत्रों में दो सौ पचास वर्ग मीटर भूमि

की सीमा तक, या यथास्थिति, शहरी क्षेत्रों में एक सौ पचास वर्ग मीटर की सीमा तक, वास्तविक अर्जित क्षेत्र या नष्ट हुए क्षेत्र के अधीन रहते हुए प्रभावित कुटुंब के भीतर प्रत्येक कुटुंब को आबंटित किया जाएगा :

परंतु यह कि शहरी क्षेत्रों में एक सौ वर्ग मीटर तल क्षेत्र तक का कोई गृह उसके बदले में उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

(2) गरीबी रेखा से नीचे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को जिसके पास कोई गृहभूमि नहीं है और जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पूर्व लगातार पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए प्रभावित क्षेत्र में निवास कर रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित कर दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम पचास वर्ग मीटर तल क्षेत्र वाला, या यथास्थिति शहरी क्षेत्रों में पच्चीस वर्ग मीटर तल क्षेत्र वाला कोई गृह पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा :

परंतु यह कि कोई ऐसा कुटुंब जो प्रस्तावित गृह को न लेने का विकल्प देता है, गृह निर्माण के लिए एक बार समुचित वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा और यह रकम उस रकम से कम नहीं होगी जो भारत सरकार द्वारा गृह निर्माण के किसी कार्यक्रम के अधीन दी जाती है ।

स्पष्टीकरण—शहरी क्षेत्रों में गृह, यदि आवश्यक हो, बहु-मंजिला भवन परिसरों में उपलब्ध कराए जा सकेंगे ।

कृषि भूमि का आबंटन ।

36. (1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में अपनी कृषि भूमि है और जिसकी संपूर्ण भूमि अर्जित कर ली गई है या नष्ट हो गई है या जो भूमि के अर्जन या उसके नष्ट होने के परिणामस्वरूप किसी सीमांत कृषक की हैसियत में आ गया है, ऐसे व्यक्ति के नाम में, जो प्रभावित कुटुंब की बाबत अधिकारों के अभिलेख में सम्मिलित है, एक हेक्टेयर सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा तक या दो हेक्टेयर असिंचित भूमि या खेती योग्य बंजर भूमि की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, यदि सरकार के पास पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में भूमि उपलब्ध हैं, प्रत्येक प्रभावित कुटुंब द्वारा वास्तविक भूमि की हानि की सीमा तक कृषि भूमि या खेती योग्य बंजर भूमि आबंटित की जाएगी ।

(2) सिंचाई या जल परियोजनाओं की दशा में, प्रभावित कुटुंबों को, परियोजना के कमान क्षेत्र में भूमि के स्थान पर भूमि के आबंटन में अधिमानता दी जाएगी :

परंतु यह कि ऐसी भूमि समेकित हो सकेंगी और ऐसे प्रभावित कुटुंबों को समुचित आकार के प्लाटों में आबंटित की जा सकेंगी, जो समूहों में व्यवस्थापित हो सकते हैं :

परंतु यह और कि यदि किसी प्रभावित कुटुंब को परियोजना के कमान क्षेत्र में भूमि नहीं दी जा सकती है, या कुटुंब वहां भूमि न लेने का विकल्प देता है तो ऐसे किसी कुटुंब को कहीं भी समुचित भूमि के क्रय के लिए नष्ट हुई भूमि के आधार पर प्रतिस्थापित लागत पर धनीय प्रतिकर दिया जा सकेगा ।

(3) अर्जित भूमि के स्थान पर कृषि भूमि के आबंटन की दशा में, प्रत्येक व्यक्ति को जिसका नाम प्रभावित कुटुंब की बाबत अधिकारों के अभिलेख में सम्मिलित है, ऐसी रकम की, जो न्यूनतम दस हजार रुपए के अधीन रहते हुए समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(4) अर्जित भूमि के स्थान पर बंजर भूमि के आबंटन की दशा में, प्रत्येक व्यक्ति को जिसका नाम प्रभावित कुटुंब की बाबत अधिकारों के अभिलेख में सम्मिलित है, ऐसी रकम की, जो आबंटित भूमि के प्रति हेक्टेयर न्यूनतम पंद्रह हजार रुपए के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

आबंटित भूमि या अन्य संपत्ति का रजिस्ट्रीकरण आदि ।

37. (1) किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि अर्जन वाली किसी परियोजना की दशा में, प्रभावित कुटुंबों को आबंटित भूमि या गृह के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस, अपेक्षा करने वाले निकाय द्वारा वहन की जाएगी ।

(2) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित भूमि या गृह सभी विल्लंगमों से मुक्त होंगे ।

(3) आबंटित भूमि या गृह, प्रभावित कुटुंब की पत्नी या पति के संयुक्त नाम में हो सकेंगे ।

पशुशेड के लिए वित्तीय सहायता ।

38. प्रत्येक विस्थापित प्रभावित कुटुंब, जिसके पास पशु हैं, पशु शेड के निर्माण के लिए ऐसी रकम की, जो न्यूनतम पंद्रह हजार रुपए के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा ।

परिवहन लागत ।

39. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जो विस्थापित है, ऐसी रकम की कुटुंब, भवन सामग्री, माल-असबाब और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन के रूप में ऐसी रकम की, जो न्यूनतम दस हजार रुपए के अधीन रहते हुए समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा ।

कार्यशाला शेड या दुकान के लिए वित्तीय सहायता ।

40. प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति, जो कोई ग्रामीण कारीगर, छोटा व्यापारी या स्वतः नियोजित व्यक्ति है और जो विस्थापित हो गया है, कार्यशाला शेड या दुकान के निर्माण के लिए ऐसी रकम की, जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा ।

नियोजन और कौशल विकास ।

41. किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि अर्जन वाली परियोजना की दशा में,—

(i) अपेक्षा करने वाला निकाय, रिक्तियों की उपलब्धता और नियोजन के लिए प्रभावित व्यक्ति की उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कुटुंब में से कम से कम एक व्यक्ति को परियोजना में नियोजन उपलब्ध कराने में प्रभावित कुटुंबों को अधिमानता दी जाएगी ;

(ii) जब कभी आवश्यक हो, अपेक्षा करने वाला निकाय प्रभावित कुटुंबों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा, जिससे कि ऐसे व्यक्ति उपयुक्त काम पाने में समर्थ हो सकें ;

(iii) अपेक्षा करने वाला निकाय, उनके समूहों या उनके सहभागियों को, बाह्यस्रोत संविदाओं, दुकानों या परियोजना स्थल में या उसके आस-पास होने वाले अन्य आर्थिक अवसरों के आबंटन में अधिमानता देगा ;

(iv) अपेक्षा करने वाला निकाय, निर्माण चरण के दौरान परियोजना में श्रमिकों को नियोजित करते समय इच्छुक भूमिहीन श्रमिकों और अनियोजित प्रभावित व्यक्तियों को अधिमानता देगा ;

(v) अपेक्षा करने वाला निकाय, प्रभावित व्यक्तियों को, उद्यमता, तकनीकी और स्वतः नियोजन के लिए वृत्तिक कौशल के विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं देगा ;

(vi) अपेक्षा करने वाला निकाय, ऐसे मानदंड के अनुसार, जो समुचित सरकार द्वारा नियत किए जाएं, प्रभावित कुटुंबों से पात्र व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां और अन्य कौशल विकास अवसर उपलब्ध कराएगा ।

42. किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि अर्जन वाली किसी परियोजना की दशा में, ऐसे प्रभावित कुटुंब, जिन्हें कृषि भूमि या नियोजन उपलब्ध नहीं कराया गया है, सात सौ पचास दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के समतुल्य पुनर्वास अनुदान के हकदार होंगे : **पुनर्वास अनुदान और शेयरों के आबंटन के लिए विकल्प ।**

परन्तु यदि अपेक्षा करने वाला निकाय शेयर और डिबेंचर जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई कंपनी है तो वह ऐसे प्रभावित कुटुंबों को पचास प्रतिशत तक लेने का विकल्प देगा, परंतु वह किसी भी दशा में शेयरों या डिबेंचरों के रूप में उनकी पुनर्वास अनुदान रकम के बीस प्रतिशत से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कम नहीं होगा ।

43. भूमि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन के मामलों में, भूमि के लिए भूमि या नियोजन के बदले में प्रभावित कुटुंबों को अर्जित भूमि के अनुपात में, किंतु ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, विकास परियोजना के भीतर विकसित भूमि या निर्मित स्थल दिए जाएंगे । **भूमि विकास परियोजनाएं ।**

44. सिंचाई या जल परियोजनाओं की दशा में प्रभावित कुटुंबों को जलाशयों में ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, मत्स्य अधिकार अनुज्ञात किए जा सकेंगे । **मत्स्य अधिकार ।**

45. ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जिनमें किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि का अर्जन अंतर्ग्रस्त है, प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जो अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित है, विस्थापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमास पच्चीस दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के समतुल्य मासिक जीवन-निर्वाह भत्ता प्राप्त करेगा । **जीवन-निर्वाह भत्ता ।**

46. परियोजना प्राधिकारी, अपनी लागत पर, वार्षिकी नीतियों की व्यवस्था करेंगे जो धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (v) में यथा विनिर्दिष्ट दुर्बल प्रभावित व्यक्तियों को ऐसी रकम की, जो प्रति मास न्यूनतम पांच सौ रुपए के अधीन रहते हुए समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, आजीवन पेंशन का संदाय करेगा । **दुर्बल प्रभावित व्यक्तियों को मासिक पेंशन ।**

47. रेलवे लाइनों, राजमार्गों, संचरण लाइनों, पाइपलाइनों को बिछाने से संबंधित परियोजनाओं और ऐसी अन्य परियोजनाओं में पंक्तिमय अर्जन की दशा में, जिनमें परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के केवल सीमित खंड का अर्जन हुआ है या मार्गाधिकार के लिए उपयोग किया गया है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम प्रभावित कुटुंब की बाबत अधिकारों के अभिलेख में सम्मिलित है, अपेक्षा करने वाले निकाय द्वारा, ऐसी रकम का, जो समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन या कार्यक्रम या स्कीम के अधीन जिसके अंतर्गत भूमि, गृह या अन्य संपत्ति अर्जित की जाती है, देय प्रतिकर और किसी अन्य फायदों के अतिरिक्त न्यूनतम दो हजार रुपए के अधीन रहते हुए, विहित की जाए, अनुग्रह अनुदान देने का प्रस्ताव किया जाएगा : **पंक्तिमय परियोजनाएं ।**

परन्तु यदि ऐसे भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप कोई भूमि धारक, भूमिहीन हो जाता है या लघु या सीमांत कृषक के स्तर तक रह जाता है तो इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध अन्य पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदे, ऐसे प्रभावित कुटुंबों को भी विस्तारित किए जाएंगे ।

48. प्रभावित कुटुंबों को धारा 35 से धारा 47 (जिनमें दोनों सम्मिलित हैं) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक फायदों के बदले में एकमुश्त ऐसी रकम लेने का, जो अपेक्षा करने वाले निकाय के परामर्श से समुचित सरकार द्वारा अवधारित की जाए, विकल्प होगा । **फायदों के बदले में एकमुश्त संदाय के लिए विकल्प ।**

49. (1) ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जिनमें किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि का अर्जन अंतर्ग्रस्त है, जिसमें अस्वैच्छिक विस्थापन अंतर्ग्रस्त है, जिसके कारण दो सौ या अधिक अनुसूचित जनजाति कुटुंब विस्थापित होते हैं, वहां एक जनजाति विकास योजना, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, देय किंतु तय न किए गए भूमि **अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए विशेष उपबंध ।**

अधिकारों को तय करने और भूमि अर्जन के साथ एक विशेष अभियान आरंभ करके अन्य-संक्रामित की गई भूमि पर जनजातियों के हकों को पुनःस्थापित करने की प्रक्रिया का ब्यौरा अधिकथित करते हुए तैयार की जाएगी ।

(2) जनजातीय विकास योजना में उन जनजातीय समुदायों की, जिनको वनों तक पहुंच से इंकार किया गया है, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पांच वर्ष की अवधि के भीतर गैर-वन भूमियों पर अनुकल्पी ईंधन, चारे और गैर काष्ठ वन-उत्पाद संसाधनों के विकास के लिए कार्यक्रम भी अंतर्विष्ट होगा ।

(3) संबंधित ग्राम सभा या पंचायतें, संविधान की पांचवी अनुसूची के अधीन अनुसूची क्षेत्रों में समुचित स्तर पर, या, यथास्थिति, छठी अनुसूची क्षेत्रों में परिषदों से, ऐसे क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या तत्समय **1894 का 1** प्रवृत्त संघ या किसी राज्य के किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अधिसूचना के जारी करने से पूर्व आपात खंड के अधीन अर्जन हैं, भूमि अर्जन के सभी मामलों में, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 और अन्य सुसंगत विधियों के **1996 का 40** अनुसार परामर्श किया जाएगा ।

(4) अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, अनुसूचित जातियों के प्रवर्गों के पश्चात् यदि पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध हो, आबंटन पर अधिमानता दी जाएगी :

(5) अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से भूमि अर्जित किए जाने के मामले में, देय प्रतिकर की कम से कम एक-तिहाई रकम, प्रांरभ में, पहली किस्त के रूप में और शेष रकम, भूमि का कब्जा लेते समय प्रभावित कुटुंबों को संदत्त की जाएगी ।

(6) ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जिनमें किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि का अर्जन अंतर्ग्रस्त है, प्रत्येक प्रभावित जनजातीय कुटुंब, वन-उत्पाद के रुढ़िजन्य अधिकारों या प्रथाओं की हानि के लिए न्यूनतम पांच सौ दिन की कृषि मजदूरी के समतुल्य के अतिरिक्त एक बार, वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा ।

(7) प्रभावित अनुसूचित जनजाति कुटुंब, सघन ब्लाक में एक ही अनुसूचित क्षेत्र में पुनर्व्यवस्थापित किए जाएंगे, जिससे कि वे अपनी जातीय, भाषागत और सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें ।

(8) अनुसूचित जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से बसाए गए पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र, उस सीमा तक, जो समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, समुदाय और सामाजिक सभाओं के लिए निःशुल्क भूमि प्राप्त करेंगे ।

(9) ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जिनमें किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि का अर्जन अंतर्ग्रस्त है, जिले से बाहर पुनर्व्यवस्थापित प्रभावित अनुसूचित जनजाति प्रभावित कुटुंब धारा 36 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 38, धारा 39 और धारा 40 में विनिर्दिष्ट फायदों की बाबत धनीय रूप से पच्चीस प्रतिशत अधिक पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदे प्राप्त करेंगे ।

(10) तत्समय प्रवृत्त विधियों और विनियमों की अवहेलना में जनजातीय भूमियों का कोई अन्यसंक्रामण, अकृत और शून्य समझा जाएगा और ऐसी भूमि के अर्जन की दशा में मूल जनजातीय भू-स्वामियों को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदे, उपलब्ध होंगे ।

(11) प्रभावित क्षेत्रों में नदी या तालाब या बांध में मत्स्य अधिकार रखने वाले, प्रभावित अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरिक वन निवासियों और अनुसूचित जातियों के कुटुंबों को सिंचाई या जल परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्रों में मत्स्य अधिकार दिए जाएंगे ।

(12) प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित कुटुंब को उपलब्ध सभी फायदें पुनर्वास क्षेत्र में जारी रहेंगे ।

50. प्रत्येक प्रभावित अनुसूचित जनजाति के कुटुंब, जिनका 13 दिसंबर, 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा था, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के फायदों के लिए हकदार होंगे । **अधिभोगियों को फायदे ।**

अध्याय 7

प्रकीर्ण

51. इस अधिनियम में धनीय अर्थ में अभिव्यक्त पुनर्वास अनुदान और अन्य फायदों का अधिसूचित की जाने वाली तारीख के प्रतिनिर्देश से उपभोक्ता मूल्य अनुक्रमणिका में अनुक्रमणिकाकरण किया जाएगा और उसे समय-समय पर समुचित सरकारों द्वारा पुनरीक्षित भी किया जाएगा । **पुनर्वास अनुदान और अन्य धनीय फायदों का अनुक्रमणिकाकरण ।**

52. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपेक्षा या निदेश के संबंध में ऐसी कोई सूचना प्रदान करेगा या ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिसके बारे में वह व्यक्ति यह जानता है कि वह मिथ्या या भ्रामक है, वह किसी भांति के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा । **मिथ्या सूचना के लिए दंड ।**

53. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों और स्थानीय निकाय या अन्य कानूनी प्राधिकारियों के अधिकारी या कर्मचारिवृंद, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक या इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की सहायता करेगा । **पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक की सहायता करने का कर्तव्य ।**

54. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसमें पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त या लोकपाल, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा । **सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।**

55. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त और लोकपाल, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे । **अधिकारियों का लोक सेवक होना ।**

1860 का 45

56. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, स्कीम या योजना के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही समुचित सरकार या इस अधिनियम के अधीन कार्यरत स्थानीय निकाय या प्राधिकारी, समुचित सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी । **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।**

57. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में [पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के सिवाय] या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा । **भूमि संबंधित सभी विधियों पर अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव ।**

1996 का 40

नियम बनाने की शक्ति ।

58. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) वह रीति जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सामाजिक आघात निर्धारण अध्ययन किया जाएगा ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सामाजिक आघात निर्धारण अनापति अनुदत्त करने की रीति ;

(ग) रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजन के लिए भूमि का आपात अर्जन और धारा 8 के अधीन इसके संस्थागत रक्षोपाय ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति के कारबार को विनियमित करने वाली प्रक्रिया के नियम और धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति की संरचना, शक्तियां और उससे संबंधित कृत्य ;

(ङ) लोकपाल की नियुक्ति की रीति, वह प्ररूप और रीति, जिसमें शिकायतों को लोकपाल को किया जा सकेगा और धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा निपटान किया जा सकेगा ; और

(च) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निगरानी समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं तथा धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग की संरचना, शक्तियां और कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया ;

(छ) धारा 20 का उपधारा (2) के अधीन प्रभावित क्षेत्रों को अधिसूचित करने की रीति ;

(ज) वह रीति, जिसमें पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों के ब्यौरे का प्रारूप प्रकाशित करेगा तथा धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना प्रारूप का प्रचार करने की रीति ;

(झ) धारा 27 के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना के अधीन किन्ही व्यक्तियों के साथ कोई करार करने की रीति ;

(ञ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन प्रशासक द्वारा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की लेखाबहियों और निधियों के अभिलेख रखने की रीति ;

(ट) धारा 36 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन प्रभावित कुटुम्ब को विनिर्दिष्ट सहायता ;

(ठ) धारा 38 के अधीन पशु शेड का निर्माण करने, धारा 39 के अधीन कुटुम्ब का स्थानांतरण करने के लिए परिवहन लागत, धारा 40 के अधीन दुकान के लिए कार्यकरण शेड का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु नियम और वह रीति, जिसमें धारा 42 के अधीन पुनर्वास अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा ;

(ड) धारा 44 के अधीन प्रभावित कुटुम्बों को जलाशयों में मछली पकड़ने के अधिकार देने की रीति ;

(ढ) धारा 46 के अधीन दुर्बल व्यक्तियों को संदेय पेंशन की रकम और धारा 47 के अधीन अनुग्रह रकम का निर्धारण, धारा 49 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्ररूप ; और

(ण) कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किए जाने हैं या विहित किए जाएं अथवा जिनके संबंध में उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

59. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी अपेक्षा करने वाले निकाय द्वारा प्रभावित व्यक्तियों या कुटुंबों के पुनर्वास या पुनर्व्यवस्थापन के लिए बनाई गई किसी स्कीम या योजना में इस अधिनियम के अधीन अधिकथित फायदे की सीमा और रकम से अधिक फायदों का उपबंध कर सकेगी । **व्यावृत्ति ।**

60. (1) यदि, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हों, कर सकेगी : **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।**

परंतु यह कि इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सार्वजनिक सुविधाओं या अवसंरचना का उपबंध निजी संपत्ति के अर्जन के लिए प्रायः सर्वोपरि आधिपत्य के सिद्धांत के अधीन राज्य द्वारा विधिक शक्तियों का प्रयोग किए जाने की अपेक्षा करता है, जिसके कारण व्यक्ति का, उन्हें उनकी भूमि, आजीविका और आश्रय-स्थलों से वंचित करके, परंपरागत संसाधन आधार तक उनकी पहुंच को निर्बन्धित करके तथा उन्हें उनके सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण से अलग करके, विस्थापन होता है । इनके प्रभावित जनसंख्या पर अतिघाती, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-सांस्कृतिक परिणाम होते हैं, जो अपने विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्य, सीमांत कृषक और महिलाएं भी हैं, के अधिकारों के संरक्षण की मांग करते हैं ।

2. प्रभावित व्यक्तियों और कुटुम्बों की सक्रिय भागीदारी से, बनाई गई विकास प्रक्रिया के तात्त्विक रूप में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मुद्दों को मान्यता देने की अत्यावश्यकता है । अस्वैच्छिक विस्थापन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को, धनीय प्रतिकर के परे अतिरिक्त फायदे उपलब्ध कराए जाने होंगे । उन व्यक्तियों की दशा तो बहुत ही खराब है, जिनके उन भूमि पर विधिक अधिकार नहीं हैं, जिन पर वे अपने निर्वाह के लिए आत्यंतिक रूप से निर्भर करते हैं । विस्थापन, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास प्रक्रिया के ढांचागत कार्य में न केवल उनको सम्मिलित करने के लिए, जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि और अपनी आस्तियां खो देते हैं, अपितु उन सभी को भी सम्मिलित करने के लिए, जो आस्तियों के ऐसे अर्जन से प्रभावित होते हैं, यह योजनाकारों की ओर से व्यापक रूप से संयुक्त प्रयास करने का आह्वान करता है । विस्थापन प्रक्रिया प्रायः ऐसी समस्या पैदा करती हैं, जो प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्व्यवस्थापन के पश्चात् अपनी पुरानी आजीविका संबंधी क्रियाकलापों को जारी रखना कठिन बना देती है । इसके लिए विस्थापन के आर्थिक अहित और सामाजिक प्रभाव का सावधानीपूर्वक निर्धारण करने की आवश्यकता है । प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्बों के समग्र जीवन निर्वाह मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से विशेष प्रयास भी किए जाने चाहिएं ।

3. परियोजना प्रभावित कुटुंबों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी एक राष्ट्रीय नीति 2003 में बनाई गई थी, जो फरवरी, 2004 से प्रवर्तन में आई थी । इस नीति के कार्यान्वयन से मिले अनुभव से यह उपदर्शित होता है कि नीति द्वारा हल किए गए ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जिनका पुनर्विलोकन किए जाने की आवश्यकता है । लागतों और फायदों को सावधानीपूर्वक नियत करने के माध्यम से प्रत्येक परियोजना की वांछनीयता और न्यायोचितता का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, जो वृहतर समाज को उद्भूत होगा । प्रभावित कुटुंबों पर आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और संस्कृति-प्रतिकूल प्रभाव को, एक भागीदारीयुक्त और पारदर्शी रीति में हल किया जाए । अतः जहां अस्वैच्छिक विस्थापन होता है वहां किसी राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन ढांचागत कार्य की सभी परियोजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है ।

4. इसका उद्देश्य, जहां तक हो सके, बड़े पैमाने पर विस्थापन को कम करना है । तथापि जहां, बडी संख्या में कुटुंब प्रभावित होते हैं, वहां सामाजिक प्रभाव निर्धारणों को आज्ञापक बनाया जाना चाहिए और पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में सभी अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाओं और सुख-सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और विशिष्ट रूप से जहां अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को बड़ी संख्या में विस्थापित किया जा रहा है, वहां एक सुविचारित जनजातीय विकास योजना को तैयार किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त ऐसी किसी नीति में स्पष्ट रूप से उन समय-सीमाओं को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए । जिसके भीतर पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन और साथ ही भूमि के उपयोग को पूरा किया जाएगा । किसी प्रभावी निगरानी और शिकायत निराकरण तंत्र को भी

अधिकथित किया जाना चाहिए ।

5. परियोजना प्रभावित कुटुंब, 2003 के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की राष्ट्रीय नीति के स्थान पर उसी के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2007 बनाई गई है । नई नीति राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई है और 31 अक्तूबर, 2007 से प्रवृत्त हो गई है । भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रारंभ से, पहली बार एक विधेयक अर्थात् पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007, नई नीति के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है जिससे कि उनका कानूनी समर्थन किया जा सके और सामाजिक प्रभाव निर्धारण, प्रभावित कुटुम्बों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदों को अच्छी तरह परिभाषित करते हुए स्कीम और योजनाएं तैयार करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

6. कई राज्य सरकारों की स्वयं की पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीतियां हैं । इस संबंध में अनेक पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अभिकरणों की भी स्वयं अपनी नीतियां हैं । पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007 मूल न्यूनतम अपेक्षाओं के लिए यह उपबंध करता है कि अस्वैच्छिक विस्थापन की सभी परियोजनाओं का हल किया जाना चाहिए । विधेयक में, राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अभिकरणों अथवा अन्य अपेक्षा करने वाले निकायों को, विधेयक के अधीन विहित किए गए फायदे के स्तरों से भिन्न फायदों के उपबंध को जारी रखने या उनके स्थान पर वृहतर फायदों के लिए समर्थ बनाने हेतु एक व्यावृत्ति खंड है ।

7. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007, मुख्य रूप से, परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन को लागू होगा । तथापि, व्यक्ति का अस्वैच्छिक विस्थापन अन्य बातों के कारण भी हो सकता है और विधेयक के उपबंध किसी भी कारण से स्थायी रूप से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन को लागू हो सकेंगे ।

8. संक्षेप में, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007, इस मूल न्यूनतम बात के लिए उपबंध करेगा कि वे सभी परियोजनाएं, जिनके कारण अस्वैच्छया विस्थापन होता है, प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करें । ऐसे प्रस्तावों का, जिनके कारण बड़ी संख्या में जनता का विस्थापन होता है, उन पर कार्यवाही किए जाने से पूर्व, एक भागीदारी, सूचनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से, सभी पणधारियों को सम्मिलित करते हुए, जिसके अन्तर्गत प्रभावित व्यक्ति भी है, सामाजिक प्रभाव निर्धारण आवश्यक होगा । पुनर्वास प्रक्रिया से विस्थापित व्यक्तियों की आय के आधार बढ़ेंगे और उनके जीवन का स्तर ऊंचा होगा, जिसके अन्तर्गत सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों का पुनःनिर्माण, सामर्थ्य निर्माण तथा जन स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाओं का उपबंध भी है । विस्थापित व्यक्तियों के अतिसंवेदनशील वर्गों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त रक्षोपायों का प्रस्ताव किया गया है ।

9. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **रघुवंश प्रसाद सिंह**

30 नवम्बर, 2007

खंडों पर टिप्पण

खंड 4--प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्रों में, कतिपय मामलों में, यह दृष्टि में रखते हुए कि परियोजना का लोक और सामूहिक संपत्तियों आदि पर आघात होगा और सुधारात्मक उपायों को विनिर्दिष्ट करने के लिए, सामाजिक आघात निर्धारण अध्ययन का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 5--किसी समुचित सरकार द्वारा परीक्षा के लिए किसी स्वतंत्र बहु-विध विशेषज्ञ समूह द्वारा एसआईए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है । यह विशेषज्ञ समूह के गठन का भी उपबंध करने के लिए है ।

खंड 6--पर्यावरणीय आघात निर्धारण अध्ययन के साथ समवर्ती एसआईए अध्ययनों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 7--सभी संबद्ध व्यक्तियों आदि द्वारा एसआईए अनापत्ति की रीति और एसआईए अनापत्ति में अधिकथित शर्तों का पालन करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 8--रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजन के लिए, आपात अर्जन वाली परियोजनाओं को अध्याय 2 के उपबंध से छूट देने के लिए है ।

खंड 9--किसी राज्य सरकार द्वारा, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 10--पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में प्रशासक के कृत्यों का तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना की विरचना, निष्पादन तथा निगरानी का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 11--पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों/योजनाओं की विरचना का पर्यवेक्षण करने का और उनका क्रियान्वयन करने के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त की नियुक्ति करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 12--समतल/जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों आदि में कुटुंबों की कतिपय संख्या के अस्वैच्छिक विस्थापन वाली प्रत्येक परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति के गठन करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 13--जिला कलक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में किसी स्थायी पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति के गठन करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 14--शिकायतों आदि का समयबद्ध निपटान करने के लिए एक लोकपाल की समुचित सरकार द्वारा नियुक्ति करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 15--पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त, किसी सम्मिलित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति और लोकपाल की केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे मामले में नियुक्ति करने का, जहां किसी परियोजना में एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के क्षेत्र सम्मिलित हैं, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा विचार-विमर्श की जाने वाली स्कीमों/योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके द्वारा सहमत सामान्य स्कीम/योजना की पद्धतियां, और किसी कठिनाई की दशा में, विनिश्चय के लिए केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए जाने वाले विषय का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 16--विधेयक के अधीन स्कीमों या योजनाओं के पुनर्विलोकन और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय निगरानी समिति के गठन करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 17--यह उपबंध करने के लिए है कि राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय निगरानी समिति को, इस विधेयक के अधीन आने वाले मामलों पर, सुसंगत जानकारी नियमित रूप से और तब भी जब अपेक्षा की जाए, उपलब्ध कराएंगे ।

खंड 18--समुचित सरकार के मंत्रालय या विभाग में एक पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अन्वेक्षा समिति का, विहित की जाने वाली संरचना, कृत्यों और प्रक्रियाओं सहित, उपबंध करने के लिए है ।

खंड 19--केंद्रीय सरकार द्वारा, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन पर बाह्य अन्वेक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग का गठन करने, विहित की जाने वाली संरचना, शक्तियां और कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 20--किसी परियोजना के लिए ग्राम के क्षेत्र या भूमि को प्रभावित क्षेत्रों के रूप में घोषणा का, ऐसे मामलों में जहां समतल या जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों, बंजर विकास कार्यक्रम ब्लाकों या संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में कुटुंबों का कतिपय संख्या से अधिक अस्वैच्छिक विस्थापन होता है, समाचारपत्रों आदि में प्रकाशित किए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 21--पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक द्वारा खंड 20 के अधीन घोषणा के पश्चात् कुटुंबों आदि की पहचान के लिए आधारिक सर्वेक्षण और जनगणना करने का उपबंध करने, सर्वेक्षण में प्रभावित कुटुंबों की ग्रामवार जानकारी का, घोषणा की तारीख से नब्बे दिन के भीतर सर्वेक्षण की समाप्ति का, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक द्वारा मांगे गए आक्षेपों और सुझावों का, विहित रीति में निष्कर्षों/सर्वेक्षणों के ब्यौरे के प्रारूप के प्रकाशन का, समुचित सरकार को आक्षेपों आदि पर विचार करने के पश्चात् सर्वेक्षण के ब्यौरे के साथ, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक का अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का, और समुचित सरकार का, सर्वेक्षण और सिफारिशों के ब्यौरे की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरे प्रकाशित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 22--पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक द्वारा ऐसी सूची तैयार करने का, जो पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपलब्ध हो, सूची में, उपलब्ध या अर्जित भूमि, ऐसी सरकारी बंजर भूमि का जो क्रय या अर्जन आदि के लिए उपलब्ध हो सके सम्मिलित करने का, उपबंध करने के लिए है ।

खंड 23--निम्नलिखित उपबंध करने के लिए है कि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वास के लिए सर्वेक्षण या जनगणना और भूमि की अपेक्षा का निर्धारण पूरा करने के पश्चात् प्रारूप स्कीम या योजना तैयार करेगा, प्रारूप का व्यापक प्रचार, संबद्ध ग्राम सभाओं और लोक सुनवाई आदि में विचार-विमर्श किया जाएगा, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप स्कीम/योजना में, अर्जित की जाने वाली भूमि का विस्तार, प्रभावित व्यक्तियों आदि की ग्रामवार सूची, कृषि श्रमिकों की सूची, ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्होंने अपना नियोजन खो दिया है या जिनके खोने की संभावना है, गैर कृषि श्रमिकों की सूची, प्रभावित भूमिहीन कुटुंबों की सूची, दुर्बल प्रभावित व्यक्तियों की सूची, अधिभोगियों की सूची, जन-सुविधाओं और सरकारी भवनों की सूची, लोक समुदायिक संपत्तियों के ब्यौरे, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध भूमि की सीमा के ब्यौरे, सुख-सुविधाएं और अवसंरचनात्मक सुविधाएं, स्थानांतरण और पुनर्व्यवस्थापन आदि के लिए समय अनुसूची, प्रशासक द्वारा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की प्राक्कलित लागत को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करना, और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदों आदि की संपूर्ण लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित निकाय को संसूचित करेगा ।

खंड 24--पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक द्वारा समुचित सरकार को प्रस्तुत करने का, समुचित सरकार द्वारा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए अनुमोदित स्कीम या योजना को राजपत्र में प्रकाशित किए जाने का और अंतिम प्रकाशन पर, योजना या स्कीम को प्रवृत्त किए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 25--पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की समुचित सरकार द्वारा घोषणा का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 26--जहां तक संभव हो, प्रभावित कुटुंबों के समूह या समूहों में पुनर्व्यवस्थापन का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 27--पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक को समुचित सरकार की ओर से, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, किसी पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित किसी भूमि के क्रय या विनिमय के लिए करार करने के लिए प्राधिकृत करता है, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 28--यह उपबंध करने के लिए है कि किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम या योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासक को अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी बनाता है ; अपेक्षा करने वाला निकाय स्कीम या योजना के अंतिम रूप देते ही पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के पास स्कीम या योजना की एक-तिहाई लागत जमा कराएगा ।

खंड 29--किसी अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि अर्जन की दशा में प्रतिकर अधिनिर्णय, प्रतिकर का पूर्ण संदाय आदि प्रभावित कुटुंबों के वास्तविक विस्थापन के पश्चात् करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 30--यह उपबंध करने के लिए है कि समतल क्षेत्रों/जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ब्लाकों आदि में कुटुम्बों के कतिपय संख्या में अस्वैच्छिक विस्थापन की दशा में, पुनर्वास क्षेत्रों में विस्तृत अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।

खंड 31--यह उपबंध करने के लिए है कि पुनर्वास क्षेत्र पंचायत या नगरपालिका का भाग होंगे ।

खंड 32--जहां भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अत्यावश्यकता के कारण भूमि का अर्जन किया जाता है, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापित स्कीम या योजना के लंबित रहने तक प्रभावित कुटुम्बों को उन्हें देय मासिक निर्वाह भत्ते आदि के अतिरिक्त अंतःकालीन और अस्थायी वास-सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 33--अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से सामाजिक आर्थिक विकास जैसे उपांत विकास, इस प्रयोजन के लिए खर्च किए जाने वाले शुद्ध लाभ की निश्चित की गई प्रतिशतता परिलक्षित करने और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापित आयुक्त के साथ विकास क्रियाकलापों को कार्यान्वित करते समय समन्वय करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 34--पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदों का ऐसे प्रभावित कुटुंबों को विस्तारित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 35--किसी प्रभावित कुटुंब को, जिसका स्वयं का गृह हो और जिसका गृहभूमि या गृह के रूप में अर्जित किया गया हो, गृह फायदों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 36--यह उपबंध करने के लिए है कि किसी प्रभावित कुटुंब को, जिसकी कृषि भूमि अर्जित कर ली गई है या जो सीमांत कृषक की हैसियत में आ गया है ; ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के नाम से जो प्रभावित कुटुम्ब की बाबत अधिकारों के अभिलेख में सम्मिलित है

दस हजार रुपए की न्यूनतम सीमा के अध्यधीन एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी, और बंजर भूमि के आबंटन की दशा में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को पन्द्रह हजार रुपए आदि की न्यूनतम सीमा के अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

खंड 37--यह उपबंध करने के लिए है कि भूमि या गृह के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क आदि अर्जन करने वाले निकाय द्वारा वहन किया जाएगा, ऐसी भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो और प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति के नाम में होगी ।

खंड 38, खंड 39 और खंड 40--यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक विस्थापित प्रभावित कुटुम्ब जिनके पास पशु हैं, एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे, कुटुम्ब आदि के स्थानांतरण के लिए एक बार परिवहन लागत प्राप्त करेंगे, जहां प्रभावित व्यक्ति कोई ग्रामीण कारीगर, छोटा व्यापारी या स्वतः नियोजित व्यक्ति है, कार्यशाला शेड या दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम बीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए समुचित सरकार द्वारा विहित एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा ।

खंड 41--यह उपबंध करने के लिए है कि अपेक्षा करने वाला निकाय परियोजना में नियोजन उपलब्ध कराने में, प्रभावित कुटुम्बों को अधिमानता देगा ; जहां आवश्यक हो प्रभावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए प्रबंध करेगा, प्रभावित व्यक्तियों या उनके समूहों या उनके सहयोगियों को बाह्यस्रोत संविदाओं, दुकानों आदि के आंबटन में अधिमानता देगा, और छात्रवृतियां और अन्य कौशल विकास अवसर प्रदान करेगा ।

खंड 42--प्रभावित कुटुंबों को पुनर्वास अनुदान का या जहां अपेक्षा करने वाला निकाय शेयर आदि जारी करने के लिए प्राधिकृत कंपनी है, वहां ऐसे कुटुंबों को जो विहित किए जाएं शेयर या डिबेंचर दिए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 43 और खंड 44--यह उपबंध करने के लिए है कि भूमि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की दशा में, भूमि के लिए भूमि या नियोजन के बदले में प्रभावित कुटुंबों को भूमि या निर्मित स्थल दिया जाएगा; जल परियोजनाओं की सिंचाई की दशा में प्रभावित कुटुंबों को विहित रीति में जलाशयों में मत्स्य अधिकार अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।

खंड 45--यह उपबंध करने के लिए है कि अपेक्षा करने वाले निकाय की ओर से भूमि का अर्जन अन्तर्ग्रस्त है, अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित प्रभावित कुटुंब एक वर्ष की अवधि की न्यूनतम कृषि मजदूरी के समतुल्य मासिक जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करेगा ।

खंड 46--परियोजना प्राधिकारियों को खंड 21 के उपखंड (2) के खंड (v) के अधीन आने वाले प्रभावित व्यक्तियों को ऐसी रकम की जो प्रतिमास न्यूनतम पांच सौ रुपए के अधीन रहते हुए समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, आजीवन पेंशन का संदाय करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 47--यह उपबंध करने के लिए है कि, रेल लाइनों, राजमार्गों, पाइपलाइनों को बिछाने आदि जैसे पंक्तिमय अर्जन की दशा में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसका नाम प्रभावित कुटुम्ब की बाबत अधिकारों के अभिलेख में सम्मिलित है, अपेक्षा करने वाले निकाय द्वारा विधेयक या कार्यक्रम या स्कीम के अधीन प्रतिकर और फायदों के अतिरिक्त ऐसे अनुग्रह अनुदान का जो विहित किया जाए प्रस्ताव किया जाएगा, जहां भूमि धारक भूमि-हीन हो जाता है या "लघु" या "सीमांत" कृषक के स्तर तक रह जाता है, तो इस विधेयक के अधीन उपलब्ध अन्य पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदे ऐसे प्रभावित कुटुंबों को भी विस्तारित किए जाएंगे ।

खंड 48--यह उपबंध करने के लिए है कि प्रभावित कुटुंबों को, खंड 35 से खंड 47 में विनिर्दिष्ट फायदों के बदले में एकमुश्त ऐसी रकम लेने का जो अपेक्षा करने वाले निकाय के परामर्श से समुचित सरकार द्वारा अवधारित की जाए, विकल्प होगा ।

खंड 49--यह उपबंध करने के लिए है कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित

जातियों के सदस्यों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए जैसे कि जनजाति विकास योजना तैयार करने, भूमि अधिकार तय करने की प्रक्रिया अधिकथित करने, ऐसे प्रभावित कुटुंबों को भूमि के बदले भूमि के आबंटन में अधिमानता देने, अधिग्रहण पर प्रभावित कुटुंबों को कम से कम एक तिहाई प्रतिकर की रकम का संदाय करने, जहां ऐसे प्रभावित कुटुंबों को जिले से बाहर पुनःपुनर्व्यवस्थापित किया जाता है, वहां उन्हें खंड 36 के उपखंड (3) और उपखंड (4), खंड 38, खंड 39 और खंड 40 में विनिर्दिष्ट पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन फायदों का पच्चीस प्रतिशत अधिक दिया जाएगा, और यदि ऐसे प्रभावित कुटुंब प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं तो वह पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र आदि में ऐसे फायदे प्राप्त करेंगे ।

खंड 50--यह उपबंध करने के लिए है कि प्रभावित अनुसूचित जनजाति कुटुम्ब जिनका 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा था, इस विधेयक के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के फायदों के लिए हकदार होंगे ।

खंड 51--पुनर्व्यवस्थापन अनुदान और अन्य धनीय फायदों के अनुक्रमणिकाकरण का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 52--मिथ्या सूचना के लिए दंड का उपबंध करता है ।

खंड 53--केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार आदि के अधिकारियों पर इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक की सहायता करने का कर्तव्य अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 54--किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसे पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त या लोकपाल कोई वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए सशक्त है, अधिकारिता के वर्जन के लिए है ।

खंड 55--यह उपबंध करने के लिए है कि इस विधेयक के अधीन नियुक्त अधिकारी (पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त और लोकपाल) जब वे इस विधेयक के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों, लोक सेवक समझे जाएंगे ।

खंड 56--किसी समुचित सरकार, स्थानीय निकाय या प्राधिकारी को, इस विधेयक या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही को संरक्षित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 57--यह उपबंध करने के लिए है कि केन्द्रीय सरकार उस कठिनाई को जो इस विधेयक के उपबंधों के प्रभावी करने में उत्पन्न होती है जो इस विधेयक के उपबंधों से संगत है, इस विधेयक के प्रारंभ होने से तीन वर्ष की अवधि तक आदेश द्वारा दूर कर सकेगी और ऐसा आदेश संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 58--यह उपबंध करने के लिए है कि विधेयक का भूमि से संबंधित सभी विधियों पर [पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के सिवाय] अध्यारोही प्रभाव होगा ।

खंड 59--समुचित सरकार के इस विधेयक के अधीन कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 60--यह उपबंध करने के लिए है कि पुनर्व्यवस्थापन की किसी स्कीम या योजना में इस विधेयक के अधीन अधिकथित फायदे की सीमा और रकम से अधिक फायदों का उपबंध हो सकेगा ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 14 में, समुचित सरकार द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विषयों से उद्भूत शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति ; पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक या पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति के विनिश्चय के विरुद्ध पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित सभी शिकायतों पर विचार करने और उनका निपटारा करने तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, जिला कलक्टर या जिले के उपायुक्त को ऐसे निदेश जारी करने का उपबंध है, जो वह ऐसी शिकायतों के निराकरण के लिए उपयुक्त समझे ।

विधेयक के खंड 15 में यह उपबंध है कि एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की दशा में, जहां परियोजना प्रभावित कुटुंब, निवास कर रहे हैं या निवास कर रहे थे या उनके पुनर्व्यवस्थापन का प्रस्ताव है, वहां केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से, अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोकपाल की नियुक्ति करेगी ।

लोकपाल के पद पर नियुक्ति और उसके कार्यों में, आवृत्ति और अनावृत्ति दोनों व्यय अंतर्वलित होंगे, जो मंत्रालय के प्रशासनिक लागतों का भाग होंगे ।

विधेयक के खंड 16 में केन्द्रीय सरकार द्वारा, विधेयक के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन और निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी समिति के गठन का उपबंध है । समिति, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, सुसंगत क्षेत्रों से अपने प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी । केन्द्रीय सरकार, समिति को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने उसके दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए आवश्यक हों । वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, समिति के सदस्यों और अन्य कर्मचारिवृंद को नियुक्त किया जा सकेगा तथा वह समय, स्थान और बैठकों की प्रक्रिया वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए । केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय निगरानी समिति की सहायता करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक राष्ट्रीय निगरानी कक्ष का सृजन करने की भी परिकल्पना कर सकेगी । इसमें, विशेषज्ञों के भत्तें, समिति को उपलब्ध कराए गए अधिकारियों और कर्मचारिवृन्दों के वेतन और अन्य अंतर्वलित हो सकेंगे । ये लागत आवर्ती और अनावर्ती प्रकृति की होगी ।

विधेयक के खंड 19 में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विधेयक के अंतर्गत आने वाले प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का बाह्य पुनर्विलोकन करने की शक्ति सहित एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग की स्थापना ; उन निबंधनों और शर्तों को, जिसके अधीन रहते हुए आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे का उपबंध है । इसमें आवर्ती और अनावर्ती प्रकृति का व्यय अंतर्वलित होगा, जो मंत्रालय के प्रशासनिक खर्चों का भाग होगा ।

निश्चित व्यय, जो प्रस्तावित विधेयक के अधीन अंतर्वलित होगा, उपरोक्त समिति, आयोग के गठन और लोकपाल की नियुक्ति पर आधारित होगा । अतः इस प्रक्रम पर इस प्रयोजन के लिए आवृत्ति और अनावृत्ति व्यय का निश्चित प्राक्कलन करना संभव नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

खंड 4 का उपखंड (1), नियमों द्वारा, वह रीति विहित करने के लिए है जिसमें प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक आघात निर्धारण अध्ययन किया जाना है । विधेयक के खंड 7 का उपखंड (1) यह उपबंध करने के लिए है कि सामाजिक आघात निर्धारण अनापत्ति, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर दी जाएगी, जो नियमों द्वारा विहित किया जाए । विधेयक के खंड 8 में यह उपबंध है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि के न्यूनतम क्षेत्र के आपात अर्जन वाली परियोजनाओं को, ऐसी संस्थागत रक्षापायों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं, छूट दी जा सकेगी । विधेयक के खंड 12 का उपखंड (3) नियमों द्वारा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति के कारबार, उसकी बैठकों और उससे संबंधित अन्य विषयों को विनियमित करने की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

2. विधेयक के खंड 13 का उपखंड (2) नियमों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति के गठन, उसकी शक्तियों, कृत्यों और कार्यकरण से संबंधित अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए है ।

3. विधेयक के खंड 14 का उपखंड (1) नियमों द्वारा, विधेयक के अंतर्गत आने वाले विषयों से उद्भूत होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के लिए समुचित सरकार द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की रीति का उपबंध करने के लिए है । उक्त खंड के उपबंध (3) में, वह प्ररूप और रीति, जिसमें तथा वह समय, जिसके भीतर शिकायतें की जा सकेंगी और उसके द्वारा उनका निपटारा किया जा सकेगा, के संबंध में नियम बनाने के लिए उपबंध है ।

4. विधेयक के खंड 16 का उपखंड (3) केन्द्रीय सरकार को, नियमों द्वारा, राष्ट्रीय निगरानी समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाओं को विहित करने हेतु सशक्त करने के लिए है । खंड 18 के उपखंड (2) के अधीन निरीक्षण समिति का गठन, कृत्य और प्रक्रिया वह होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाए । विधेयक के खंड 19 का उपखंड (2) राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग के गठन, शक्तियों और कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

5. विधेयक के खंड 20 का उपखंड (2), समुचित सरकार को नियमों द्वारा, वह पद्धति, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा की सूचना की अधिसूचना की प्रति चिपकाई जा सकेगी, विहित करने हेतु सशक्त करने के लिए है । खंड 21 का उपखंड (4), उस रीति की बाबत, जिसमें पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों के ब्यौरे के प्रारूप को प्रकाशित करेगा, नियम बनाने हेतु उपबंध करने के लिए है । विधेयक के खंड 23 का उपखंड (2), यह उपबंध करने के लिए है कि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजना का प्रारूप प्रभावित क्षेत्र में विस्तृत प्रचार द्वारा स्थानीय रूप से और पुनर्वास क्षेत्र में ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जाए, ज्ञात कराया जाएगा ।

6. विधेयक का खंड 27, यह उपबंध करने के लिए है कि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, समुचित सरकार की ओर से और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम या योजना के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकेगा ।

7. खंड 28 का उपखंड (3) नियमों द्वारा विहित की जाने वाली उस रीति का उपबंध करने के लिए है, जिसमें पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन के संबंध में निधियों की समुचित लेखा बहियों और अभिलेखों को रखेगा ।

8. खंड 36 का उपखंड (3) और उपखंड (4), प्रभावित कुटुंब को ऐसी रकम की एक बार वित्तीय सहायता देने का उपबंध करने के लिए है, जो समुचित सरकार नियमों द्वारा विहित करे ।

9. विधेयक का खंड 38, नियमों द्वारा विहित करके, प्रभावित कुटुंब को पशुशेड का निर्माण करने के लिए एक बार वित्तीय सहायता का उपबंध करने के लिए है । विधेयक का खंड 39, नियमों द्वारा, कुटुंब आदि के स्थानांतरण के संबंध में परिवहन लागत के लिए एक बार वित्तीय सहायता का उपबंध करने के लिए है । विधेयक का खंड 40, नियमों द्वारा विहित करके, कार्य शेड या दुकान के निर्माण के लिए एक बार वित्तीय सहायता का उपबंध करने के लिए है । विधेयक का खंड 42 नियमों द्वारा, वह रीति, विहित करने के लिए है, जिसमें पुनर्वास अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा ।

10. विधेयक का खंड 43, नियमों द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए भूमि की सीमाओं का उपबंध करने के लिए है । विधेयक का खंड 44, उस रीति का उपबंध करने के लिए है, जिसमें समुचित सरकार द्वारा नियम विहित करके, जलाशयों में मछली पकड़ने के अधिकारों को दिया जाएगा । विधेयक का खंड 46, नियमों द्वारा, उस रकम का, जो अतिसंवेदनशील प्रभावित व्यक्तियों को आजीवन मासिक पेंशन के रूप में संदाय की जाएगी, उपबंध करने के लिए है । विधेयक का खंड 47, उस अनुग्रह राशि का, जो समुचित सरकार, नियमों द्वारा विहित करे, उपबंध करने के लिए है । खंड 49 का उपखंड (1), नियमों द्वारा, उक्त खंडों के प्रयोजनों के लिए प्ररूपों को विहित करने के लिए है ।

11. खंड 58 का उपखंड (2) उन विषयों को प्रगणित करता है, जिनके संबंध में समुचित सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकेंगे । खंड 59 के उपखंड (2) और उपखंड (3) में यह उपबंध है कि अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं ।

उपरोक्त विषय, जिनकी बाबत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे संबंधी विषय हैं और उनका विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।